

29/5/23  
कानून व्यवसाय/ भारत अभिभावक द्वारा  
कार्य स्थगित कर दिया है। पीठासीन  
अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में  
ब्यस्त है पत्रावली दिनांक... 10/8/23  
को पेश हो।

17/7/23

पत्रावली पेश। वकूलाय उप०।  
वकील वादी सम्पूर्ण साक्ष्य पेश  
करे। पत्रावली वास्तु साक्ष्य दि०  
10/8/23 को पेश हो।  
सहायक कलक्टर  
अलवर

10/8/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०।  
वकील वादी को दिनांक 02/11/20  
से साक्ष्य पेश करने की हिदायत  
दी जा रही है। वकील वादी द्वारा  
न्यायालय के आदेश की अवहेलना  
की जा रही है। अतः पत्रावली आदेश  
09 नियम 05 में खारिज की जाती  
है। पत्रावली फंसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो। बाह्य तकमील  
खासिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
अलवर (राज०)

